सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 353 राँची, सोमवार, 29 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 जून, 2026

संख्या-5/आरोप-1-32/2023-36827 (HRMS)--श्री मनोज कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-486/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3809, दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-347 दिनांक 10.09.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

1. प्रखण्ड-पाटन अन्तर्गत ग्राम पंचायत-हिसरा बरवाडीह में पशु शेड की योजना क्रियान्वयन में विभागीय निर्देश के विपरीत अनुमान्यता से काफी अधिक 401 पशु शेड की योजना क्रियान्वित की गयी।

उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पलामू के पत्रांक- 160, दिनांक 11.02.2023 के आलोक में पाटन प्रखण्ड के कुल 22 ग्राम पंचायत में से 19 ग्राम पंचायत में भी विभागीय आदेश का वृहत स्तर पर उल्लंघन कर अनुमान्यता (5 पशु शेड प्रति पंचायत) से काफी अधिक पशु शेड योजना स्वीकृत किया गया।

2. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन से समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत् प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का मुख्य प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में मनरेगा के तहत् योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्धारित भूमिका एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया तथा मनरेगा के संदर्भ में निर्धारित भूमिका एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरती गयी है। इसके फलस्वरूप सरकार को वित्तीय हानि हुई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8192, दिनांक 18.12.2024 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री तिवारी के पत्रांक-144, दिनांक 28.01.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री तिवारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1874, दिनांक 26.03.2025 द्वारा श्री तिवारी से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

श्री तिवारी के पत्रांक-180, दिनांक 02.07.2025 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री तिवारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

"ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3809, दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-347, दिनांक 10.09.2024 द्वारा गठित आरोप पत्र के साथ संलग्न कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू के पत्रांक-160/मनरेगा, दिनांक 11.02.2023 का अवलोकन किया जाय। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 50 से भी अधिक पशु शेड स्वीकृत करने के संबंध में पलामू जिला के 13 प्रखण्डों के 90 पंचायतों में इस तरह के स्थिति का उल्लेख करते हुए (1) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, प्रखण्ड चैनपुर, छतरपुरा, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मनातु, नौडीहाबाजार, नीलाम्बर- पिताम्बर, पाण्डु, पांकी, पाटन, पीपरा, रामगढ़ एवं तरहसी (2) संबंधित पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक एवं मुखिया प्रखण्ड चैनपुर, छतरपुरा, हैदरनगर, हुसैनाबाद, मनातु, नौडीहाबाजार, नीलाम्बर-पिताम्बर, पाण्डु, पांकी, पाटन, पीपरा, रामगढ़ एवं तरहसी से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। इनको छोड़कर किसी भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाटन प्रखण्ड के भी न तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी न किसी भी पंचायत के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मुखिया के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई। पशु शेड की योजनाओं की स्वीकृति में पंचायत कार्यकारिणी एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी का रोल रहता है, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का नहीं, अतएव इनके द्वारा भी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

पलामू जिला के 13 प्रखण्डों के 90 पंचायतों में पंचायत कार्यकारिणी द्वारा भी एक दिन में सभी 05 से अधिक पशु शेड स्वीकृत तो नहीं हुए होगें, यदि हो भी गये तो भी 05 से अधिक पशु शेड की राशि वापसी हेतु अब तक न तो पलामू जिला में और न ही राज्य के अन्य जिलों में भी (चूँकि 05 से अधिक पशु शेड अन्य जिलों के प्रखण्डों में भी स्वीकृत हुए है) राशि वापसी हेतु कोई कार्रवाई की गई है। जिससे स्पष्ट है कि 05 से अधिक पशु शेड मामले में अन्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की तरह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन का भी कोई दोष नहीं है।

चूँकि सभी घटनाएँ पूर्व में ही घटित हो चुकी है एवं इस संबंध में पूर्व में भी इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित किया जा चुका है। इनके द्वारा जवाब भी दिया जा चुका था, जिसके समीक्षोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-20671, दिनांक 25.01.2024 द्वारा संकल्प भी निर्गत किया जा चुका है, जिसमें इनको निन्दन की सजा दी जा चुकी है।

एक ही मामले में बार-बार (1-2 वर्ष के अंतराल पर) प्रपत्र-'क' भरना एवं निन्दन की सजा होना, जिससे लम्बे समय तक दण्ड प्रभावित रहे एवं प्रोन्नति न हो इस तरह का प्रयास या तो पूर्वाग्रह या किसी के दबाव में किया गया कार्रवाई को इंगित करता है। एक ही मामले में बार-बार प्रपत्र-'क' भरकर इनको मानसिक एवं आर्थिक रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रताि डतक्करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः इसी मामले में इससे पहले दी गई निन्दन की सजा में गठित आरोप पत्र, इनका स्पष्टीकरण एवं 25.01.2024 को कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकल्प, वर्तमान में गठित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की निष्पक्ष रूप से समीक्षा करते हुए आरोप मुक्त की जाय।"

श्री तिवारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों का समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया है कि इनके द्वारा समर्पित तथ्य कि इनको छोड़कर किसी पदाधिकारी/कर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, स्वीकार योग्य नहीं है। उपायुक्त, पलामू द्वारा गठित आरोप के साथ संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विभागीय आदेश का वृहत स्तर पर उल्लंघन कर अनुमान्यता से काफी अधिक पशु शेड योजना स्वीकृत हुई है। प्रखण्ड अन्तर्गत संचालित योजनाओं के पर्यवेक्षण/अनुश्रवण का मुख्य दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मनोज कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 486/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री मनोज कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR TIWARI JHK/JAS/235	श्री मनोज कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 486/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाटन, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 353-- 50